संख्या-368/2020/590/22-2-2020-17(214)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2020***

विषय:- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी जगदेई पत्नी श्रीराम निवासिनी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी जगदेई पत्नी श्रीराम, मिरदही टोला श्यामनाथ मन्दिर के सामने, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर की निवासिनी है। दहेज में मोटर साईकिल न मिलने के कारण दिनांक 10.04.2010 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी बहू को जला कर हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-877/2010 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 व 4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-8, सीतापुर के आदेश दिनांक 14.11.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2019 तक 09 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 10 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट /पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी जगदेई (बन्दी संख्या-2073/एन0बी0एन0) पत्नी श्रीराम निवासिनी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-368/2020/590(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in